# अनुदान संख्या 74 - योजना मंत्रालय
# GRANT No. 74 - MINISTRY OF PLANNING

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत - | Voted- | | | | | |
| मूल | Original | 944,39,00 | | 1141,40,00 | 1076,87,63 | – 64,52,37 |
| पूरक | Supplementary | 197,01,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 60,93,37 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत - | Voted - | | | | | |
| मूल | Original | 731,61,00 | | 731,62,00 | 251,50,29 | -480,11,71 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 303,58,05 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹6452.37 लाख) अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹19701.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹6452.37 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of ₹19701.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | | |
| सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 8979.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 8287.41 | 7484.62 | – 802.79 |
| पु. | R. | -692.59 | | | |

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2203" | Major Head "2203" | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा | Technical Education | | | | | |
| मू. | O. | 841.00 | | | | |
| | | | | 68.00 | 61.29 | – 6.71 |
| पु. | R. | – 773.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2401" | Major Head "2401" | | | | | |
| फसल कृषिकर्म | Crop Husbandry | | | | | |
| मू. | O. | 2500.00 | | | | |
| | | | | 1620.00 | 1521.11 | – 98.89 |
| पु. | R. | – 880.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3454" | Major Head "3454" | | | | | |
| जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | Census, Surveys and Statistics | | | | | |
| मू. | O. | 75000.00 | | | | |
| पू. | S. | 19700.00 | | 93303.75 | 94154.16 | +850.41 |
| पु. | R. | -1396.25 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3475" | Major Head "3475" | | | | | |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Other General Economic Services | | | | | |
| मू. | O. | 6202.00 | | | | |
| | | | | 4015.80 | 3714.78 | – 301.02 |
| पु. | R. | – 2186.20 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" | Major Head "3601" | | | | | |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 917.00 | | | | |
| | | | | 751.67 | 751.67 | .. |
| पु. | R. | – 165.33 | | | | |

(I) ₹200.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - वित्तीयन अवसंरचना संबंधी उच्चस्तरीय समिति" के अंतर्गत एक मामले में मुख्य प्रस्तावों को शुरू न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3454" - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - विशिष्ट पहचान स्कीम - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" के अंतर्गत ₹75000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹94700.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि "आधार" बनाने की गति धीमी होने, रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा दावे, विदेशी दौरे, कार्यशालाएं/सम्मेलन कम होने, यूआईडीएआई बायोमीट्रिक्स सेंटर आफ कम्पिटेंस को किराए पर लिए जाने को देर से अंतिम रूप दिए जाने और व्यावसायिक सेवाओं के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹545.84 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय - प्रधान मंत्री के सार्वजनिक सूचना, अवसंरचना एवं नवप्रवर्तन सलाहकार का कार्यालय" - ₹331.05 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹701.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कर्मचारियों को तैनात न किए जाने, घरेलू और विदेशी यात्रा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और सम्मेलन/ गोष्ठियां आयोजित न किए जाने के कारण हुई ।

(खा) "योजना आयोग/योजना बोर्ड" -

(क) "मुख्यालय" - ₹374.62 लाख की बचत (₹6228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन" - ₹147.50 लाख की बचत (₹715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन और भत्तों के बकाया को अंतिम रूप न दिए जाने, मुद्रण कार्य कम होने और कम कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुईं।

(ग) "कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" - ₹859.49 लाख की बचत (₹1010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3475" – "Other Expenditure - High Level Committee on Financing Infrastructure" - due to non- initiation of major proposals .

(II) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Unique Identification Scheme - Unique Identification Authority of India" - the original provision of ₹75000.00 lakhs was augmented to ₹94700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19700.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹545.84 lakhs - due to low pace of generating "Aadhar", non-filling up of vacant posts, less medical claims, foreign tours, workshops/ conferences, late finalization of hiring of UIDAI Biometrics Centre of Competence (UBCC) and non-finalisation of various proposals of professional services.

(III) Under Major Head "3451" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat – Office of Adviser to Prime Minister on Public Information, Infrastructure and Innovations" – saving of ₹331.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹701.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-deployment of various staff, requirement of less funds towards domestic and foreign travel and non-holding of conferences/seminars.

(B) "Planning Commission/Planning Board" –

(a) "Headquarters"– saving of ₹374.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6228.00 lakhs); and

(b) "Programme Evaluation Organisation"– saving of ₹147.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹715.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of arrears of pay and allowances, less printing jobs and organization of less events.

(c) "Modernisation of Office Systems"– saving of ₹859.49 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ परियोजनाओं को पूरा न किए जाने और सामानों की पूर्ति एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए संविदाकारों को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹ 1010.00 lakhs) was due to non-completion of some projects by Central Public Works Department and non-payment to contractors for supply of goods and execution of works.

(IV) मुख्य शीर्ष "2203" - "अन्य व्यय - सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास में नई पहल" के अंतर्गत ₹779.71 लाख की बचत (₹841.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं उनका निष्पादन न किए जाने और कौशल व्यवस्था अध्ययनों संबंधी व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2203" – "Other Expenditure – New Initiative in Skill Development through PPP" – saving of ₹ 779.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹841.00 lakhs) was due to non finalisation and non execution of proposals and non-receipt of viable proposals for skill mapping studies.

(V) मुख्य शीर्ष "2401" - "वाणिज्यिक फसलें - राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण" के अंतर्गत ₹978.89 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कर्मचारियों की तैनाती न किए जाने, घरेलू एवं विदेश यात्रा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और विभिन्न अध्ययन प्रस्तावों का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2401" – "Commercial Crops – National Rainfed Area Authority" – saving of ₹978.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non deployment of various staff, requirement of less funds towards domestic and foreign travel and non-execution of various study proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "आयोजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता" - ₹257.90 लाख की बचत (₹499.61 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं की नियुक्ति न किए जाने और कम विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "Expertise for Planning Process" – saving of ₹257.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹499.61 lakhs) was due to non - appointment of consultants and less foreign tours.

(खा) "सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण" - ₹875.67 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हार्डवेयर मदों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, सम्मेलन/कार्यशालाएं/गोष्ठियां कम आयोजित किए जाने, रिपोर्टें कम मुद्रित किए जाने और बाहरी स्रोत से कराए गए अध्ययनों के पूरा न होने के कारण हुई ।

(B) "Strengthening Evaluation Capacity in Government" - saving of ₹875.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals to purchase hardware items, less conference/workshops/seminars, less printing of reports and non-completion of outsourced studies.

(गा) "आईएएमआर को सहायता अनुदान" - ₹495.74 लाख की बचत (₹771.39 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ अध्ययनों/मूल्यांकन परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य के पूरा होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(C) "Grants-in-aid to IAMR" - saving of ₹495.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹771.39 lakhs) was due to non-finalization of some studies/evaluation projects and delay in completion of work relating to creation of capital assets.

(घा) "लो कार्बन इकानामी संबंधी विशेषज्ञ समूह" - ₹199.51 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(D) "Expert Group on Low Carbon Economy" - saving of ₹199.51 lakhs (against the sanctioned

अध्ययनों से संबंधित प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने एवं व्यवसायियों को काम पर न रखे जाने, दौरा कार्यक्रमों, सम्मेलनों/कार्यशालाओं/गोष्ठियों के कम होने और विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "परिवहन नीति संबंधी विशेषज्ञ समूह" - ₹174.35 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(चा) "योजना प्रतिपादन, मूल्यांकन और समीक्षा" - ₹787.49 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिपोर्टों के मुद्रित न होने, दौरा कार्यक्रम कम होने, गोष्ठियां/कार्यशालाएं कम होने और विभिन्न अध्ययन प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - अन्य अनुदान - जिला आयोजना संबंधी क्षमता विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता" के अंतर्गत ₹165.33 लाख की बचत (₹917.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹430.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद से संबंधित प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय" के अंतर्गत अगस्त, 2011 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹265.56 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - योजना लेखा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹542.94 लाख का अधिक व्यय (₹951.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति जमा की अदायगी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-materializing of proposals relating to studies and non-hiring of professional, less tour programmes, conferences/workshops/seminars and non-procurement of various items.

(E) "Expert Group on Transport Policy" - saving of ₹174.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from agencies.

(F) "Plan Formulation, Appraisal and Review" – saving of ₹787.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-printing of reports, less tour programmes, less seminar/workshops and non-finalization of various study proposals.

(VII) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Other General Economic Services – Other Grants – UNDP Assistance for Capacity Development for District Planning" – saving of ₹165.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹917.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with State Governments.

2.(I) The above savings were partly (₹430.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token Supplementary grant of ₹1.00 lakh in August, 2011 under Major Head "3451" – "Secretariat – Office of Adviser to Prime Minister on Prime Minister's National Council on Skill Development" – Actual excess, however, was ₹265.56 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" – "Other Expenditure - Plan Accounting and Public Finance Management System" – excess of ₹542.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹951.00 lakhs) was due to payment of license fee and security deposit to New Delhi Municipal Council.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत -<br>Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works | | | | |
| मू. | O. | 2000.00 | | | |
| | | | 24.18 | 24.18 | .. |
| पु. | R. | – 1975.82 | | | |
| मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 71161.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 42779.77 | 25126.11 | – 17653.66 |
| पु. | R. | – 28382.23 | | | |

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" के अंतर्गत ₹1975.82 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) मुख्य शीर्ष "5475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सांख्यिकी - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" - ₹45425.47 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजनाबद्ध और प्रस्तावित मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने और कुछ परियोजनाओं के पूरी न होने के कारण हुईं।

(खा) "अन्य व्यय - कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" - ₹906.00 लाख की बचत (₹1061.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं के पूरी न होने और कम्प्यूटरों और अन्य बाह्य उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction – Unique Identification Authority of India" – saving of ₹1975.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(II) Under Major Head "5475" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Statistics – Unique Identification Authority of India" – saving of ₹45425.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-procurement of planned and projected items and non-completion of some projects.

(B) "Other Expenditure - Modernisation of Office Systems" – saving of ₹906.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1061.00 lakhs) was due to non-completion of some projects and non-procurement of computers and other peripherals.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹470.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5475" - "अन्य व्यय - योजना लेखा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली" के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹295.58 लाख था।

4 The above savings were partly (₹470.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2012 under Major Head "5475" – "Other Expenditure - Plan Accounting and Public Finance Management System". Actual excess, however, was ₹295.58 lakhs.